कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 322/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 17.08.2026

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

➡ युवती के अश्लील फोटो/वीडियो वायरल किए जाने के बाद आत्महत्या करने के मामले में वांछित अभियुक्त महाराष्ट्र से गिरफ्तार।

➡ साइबर सेल आजमगढ़ की तकनीकी टीम द्वारा अभियुक्त की लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी।

➡ थाना रौनापार पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से बोइसर, पालघर (महाराष्ट्र) से अभियुक्त की गिरफ्तारी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण में महिला संबंधी अपराधों एवं साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस एवं साइबर सेल आजमगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रमोद गोंड को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया।

➡वादी थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी 23 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी कि अभियुक्त प्रमोद गोंड द्वारा युवती से दोस्ती कर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने के दौरान उसके अश्लील फोटो/वीडियो बना लिये गये तथा उक्त फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती पर बार-बार शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाया गया। बाद में अभियुक्त द्वारा युवती के अश्लील फोटो/वीडियो वायरल कर दिये गये। अश्लील फोटो/वीडियो वायरल होने के बाद युवती द्वारा आत्महत्या कर ली गयी।

➡तहरीर के आधार पर दिनांक 13.07.2026 को थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 195/2026 धारा 64(2)(ड), 108 बीएनएस एवं 67ए आईटी एक्ट बनाम प्रमोद गोंड पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना निरीक्षक अपराध/विवेचक अशोक कुमार तिवारी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी की कार्यवाही

विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय से NBW प्राप्त किया गया। साइबर सेल आजमगढ़ की तकनीकी टीम द्वारा अभियुक्त के मोबाइल नम्बर की तकनीकी लोकेशन प्राप्त की गयी, जो बोइसर, पालघर (महाराष्ट्र) में प्राप्त हुई।

➡उक्त लोकेशन के आधार पर थाना रौनापार पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से महाराष्ट्र पहुंचकर अभियुक्त प्रमोद गोंड पुत्र जगरनाथ गोंड, निवासी हैदराबाद, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र 34 वर्ष को श्रीराम फेडरेशन कम्पनी, बोइसर, पालघर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया गया।

➡अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर उसे सम्बन्धित न्यायालय, पालघर (महाराष्ट्र) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को आजमगढ़ लाया गया। दिनांक 16.08.2026 को अभियुक्त को थाना रौनापार पर दाखिल कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 195/2026, धारा 64(2)(ड), 108 बीएनएस एवं 67ए आईटी एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

प्रमोद गोंड पुत्र जगरनाथ गोंड, निवासी हैदराबाद, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 195/2026, धारा 64(2)(ड), 108 बीएनएस एवं 67ए आईटी एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम

थाना रौनापार पुलिस टीम

1. नि0अपराध/विवेचक अशोक कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी सगड़ी कार्यालय, आजमगढ़।
2. का0 विकास यादव, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

साइबर सेल, आजमगढ़

1. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम, प्रभारी साइबर सेल, आजमगढ़।
2. मु0आ0 ओम प्रकाश जायसवाल, साइबर सेल, आजमगढ़।
3. मु0आ0 मुकेश भारती, साइबर सेल, आजमगढ़।

विशेष उल्लेख: साइबर सेल आजमगढ़ की तकनीकी टीम द्वारा अभियुक्त की तकनीकी लोकेशन प्राप्त कर गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। थाना रौनापार पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही के फलस्वरूप अभियुक्त को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ | दिनांक-17.08.2026

➡ साइबर फ्रॉड के ₹8,000/- की धनराशि तत्काल होल्ड कराकर पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

➡ साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह की प्रभावी पैरवी एवं मा0 न्यायालय के फंड रिलीज आर्डर के क्रम में पीड़ित को धनराशि वापस मिली।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30.07.2026 को प्रिन्स त्यागी पुत्र राजेश, निवासी गिडउर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के बैंक खाते से उनकी जानकारी के बिना कुल ₹8,000/- का साइबर फ्रॉड कर लिया गया था। पीड़ित द्वारा तत्काल एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या **33107260187327** पंजीकृत करायी गयी।

➡शिकायत पर साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी सम्पूर्ण धनराशि ₹8,000/- को सम्बन्धित बैंक खाते में होल्ड कराया गया।

➡उक्त शिकायत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही एवं मा0 न्यायालय के आदेश **(फंड रिलीज आर्डर)** के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना बरदह द्वारा सम्बन्धित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पीड़ित के खाते में सम्पूर्ण ₹8,000/- की धनराशि वापस करा दी गयी।

पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।